न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(श्रीमती अनिता कुमारी खटीक आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या:– 52/2017

उनवानी दावा :

निर्णय दिनांक :– 31.01.2020

सुखलाल पुत्र स्व0 श्री कल्याण जाति जाट निवासी नयागांव ग्राम पंचायत राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0

–अपीलांन्ट–

बनाम

1. ग्राम पंचायत राजमहल तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
2. तहसीलदार देवली, तहसील देवली, जिला टोंक (राज.)
3. लालाराम पुत्र कल्याण जाति जाट निवासी नयागांव ग्राम पंचायत राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. शिवजी पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी नयागांव ग्राम पंचायत राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0
5. बन्नालाल पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी नयागांव ग्राम पंचायत राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0
6. सरवर पुत्री रामलाल जाति जाट निवासी नयागांव ग्राम पंचायत राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0
7. लादी पत्नि रामलाल जाति जाट निवासी नयागांव ग्राम पंचायत राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0

–रेस्पोडेन्टस –

उपस्थिति :–
श्री रमेश चन्द्र शर्मा
अधिवक्ता अपीलान्ट

श्री सुनिल कुमार शर्मा
अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ता 7

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 468 दिनांक 08.09.2014 ग्राम पंचायत राजमहल जिसके द्वारा नामान्तकरण संख्या 468 अपीलान्ट के हिस्से की भूमि का नामान्तकरण तस्दीक किया गया

निर्णय/आदेश

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि नामान्तकरण संख्या 468 दिनांक 08.09.94 रेस्पोडेन्ट नं. 1 ग्राम पंचायत राजमहल द्वारा करवाई गई रिलीजडीड (हकत्याग) का नामान्तकरण त्रुटीपूर्ण तस्दीक किया गया। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नं. 3 ता 7 की संयुक्त खातेदारी व कब्जे–काश्त की भूमि हाल खाता संख्या 265 ख. नं. 93 रकबा 0.14 है0, ख. नं. 104 रकबा 0.31 है0, ख. नं. 107 रकबा 0.39 है0 कुल किता रकबा 0.84 है0, वाके तनग्राम नयागांव पटवार हल्का राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। उक्त संयुक्त भूमि में अपीलान्ट का 1/3 हिस्सा है।

...लान्ट ने अपने सगे भाई लालाराम रेस्पोडेन्ट नं. 3 के हक में अपने 1/3 हिस्से की भूमि में से 3/5 हिस्सा यानि कुल रकबा का 1/5 हिस्से की भूमि का हकत्याग दिनांक 20.05.2014 को कर उपपंजीयक देवली के यहां पंजीयन करवाया था परन्तु हल्का पटवारी द्वारा अपीलान्ट के हिस्से की सम्पूर्ण 1/3 हिस्से की भूमि का नामान्तकरण भरकर रेस्पोडेन्ट नं. 1 से तस्दीक करवा लिया है जो कि गलत है। रेस्पोडेन्ट नं. 1 द्वारा गलत नामान्तकरण तस्दीक कर दिये जाने के कारण अपीलान्ट की सम्पूर्ण भूमि रेस्पोडेन्ट नं. 3 के नाम दर्ज हो गई है जिससे कि अपीलान्ट को अपूरणीय क्षति हो रही है। हाल ही में अपीलान्ट द्वारा अपने हिस्से की कृषि भूमि पर केसीसी ऋण लेने हेतु हल्का पटवारी से नकल प्राप्त की तो अपीलान्ट को ज्ञात हुआ कि उसके हिस्से की सम्पूर्ण भूमि को उक्त नामान्तकरण के जरिए रेस्पोडेन्ट नं. 3 के नाम दर्ज कर दी गई है। उसके बाद अपीलान्ट ने नामान्तकरण की नकल प्राप्त करने के बाद यह अपील बिना किसी विलम्त्ब के पेश की जा रही है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी जारी की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 5 ता 7 की ओर से अधिवक्ता श्री सुनिल कुमार शर्मा ने वकालतनामा पेश किया परन्तु जवाब 4 ता 7 की ओर से पेश किया गया जिसके अनुसार अपील का चरण नं. 1 गलत है, स्वीकार नहीं है। ग्राम पंचायत राजमहल द्वारा हकत्याग का नामांतकरण विधिवत रूप से हकत्याग में हिस्से अनुसार तस्दीक किया गया हैं। चरण नं. 2 स्वीकार है। चरण नं. 3 ता 5 गलत है, स्वीकार नहीं है। चरण नं. 6 ता 7 कानूनी है, जवाब की आवश्यकता नहीं है। विशेष कथनः– ख. नं. 93 रकबा 0.14 है0, ख. नं. 104 रकबा 0.31 है0, ख. नं. 107 रकबा 0.39 है0 कुल किता रकबा 0.84 है0, वाके तनग्राम नयागांव पटवार हल्का राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। उक्त भूमि में जमाबन्दी सम्वत 2070–73 में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 का 1/4–1/4 हिस्सा था। अपीलान्ट व रेस्पोडेंट सेख्या 4 ता 7 का 1/4 हिस्सा था। अपीलान्ट व रेस्पपेडेन्ट संख्या 3 ता 7 के हक में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ता 7 के हक में अपीलान्ट व रेस्पोडेंट संख्या 3 व रेस्पोडेन्ट संख्या की बहन व बुआ व ननद ने हकत्याग किया था उसके बाद नामान्तकरण अमल में लाया गया था जिसमें अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 का हिस्सा 3/8 तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ता 7 का हिस्सा 1/8 है जो गलत है जबकि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 का 1/3–1/3 हिस्सा होना चाहिए था। इस कारण अपीलान्ट ने जो अपील की है वह गलत है तथा खारिज किये जाने योग्य है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

बहस में अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यो को दोहराया कथन किया कि रिलीज हिस्से की बजाय सम्पूर्ण हिस्से का नामान्तकरण अप्रार्थी के दर्ज किया गया है जो कि गलत है। दुरूस्ती हेतु नामान्तकरण, रजिस्ट्री हकत्याग व नामान्तकरण की फोटो प्रति प्रमाणित पेश की है।

बहस में अधिवकक्ता रेस्पोडेन्ट ने बताया कि बहिनो के हिस्से के नामान्तकरण की अपील पहले होनी चाहिए थी उसके बाद दुरूस्त होना चाहिये । प्रतिवादी ने नामान्तकरण गलत होना स्वीकार किया।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन व अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज नामान्तकरण रजिस्टर ग्राम नयागांव नामान्तकरण संख्या 468, जमाबन्दी संम्वत 2070–73 ग्राम नयागांव, पंजीबद्ध हकत्याग दिनांक 20.05.2014 पेश किये है। पंजीबद्ध हकत्याग पत्र दिनांक 20.05.2014 से अपीलान्ट सुखलाल ने अपने हिस्से 1/3 का 3/5 हिस्सा हकत्याग से लालाराम को कर दिया। रजिस्टर ग्राम नयागांव नामान्तकरण संख्या 468 दिनांक 08.09.2014 में ग्राम पंचायत ने सुखलाल पिता कल्याण का हिस्सा लालाराम पिता कल्याण के नाम दर्ज किया गया जो कि दस्तावेज के आधार पर त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। उक्त बहस, दस्तावेजात से यह तथ्य सामने आते है कि ग्राम पंचायत नयागांव द्वारा भरे गये नामान्तकरण की जांच की जाकर दस्तावेजात के आधार सही नामान्तकरण तस्दीक करना आवश्यक है। अत ग्राम पंचायत नयागांव द्वारा द्वारा तस्दीक किये गये नामान्तकरण संख्या 468 दिनांक 08.09.2014 को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार देवली को यह नामान्तकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उक्त नामान्तकरण की विधिक दस्तावेजात के आधार पर जांच कर नामान्तकरण तस्दीक करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली